

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-८/ सा.प्र.वि./शि.जा./२१/ ।४६५।

भिलाई, दिनांक १२.१२.२०२१

//आदेश//

श्री प्रकाश अग्रवाल, राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम भिलाई के विभागीय जांच में विन्ध्य कार्य/चूक का दोषी माना गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम १० के खण्ड (एक) परिनिन्दा का औपचारिक दण्ड दिया जाता है तथा गोपनीय चरित्रावली में दर्ज किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



(प्रकाश कुमार सिंह)
रा.प्र.से.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
 भिलाई

पृ. क्र./एफ-८/ सा.प्र.वि./शि.जा./२१/ ।४६५।
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक १२.१२.२०२१

1. प्रशासक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षक रथाघना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
5. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. श्री प्रकाश अग्रवाल, राजस्व निरीक्षक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
 भिलाई